



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239218
CG-DL-E-29092022-239218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4391]
No. 4391]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4581(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तारीख 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्याक का.आ. 2020(अ) द्वारा नियुक्त श्री कांथी नरहरी के कार्यकाल को तारीख 10 अप्रैल, 2022 से उन्हीं निबंधन व शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी सबसे पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. ए-40012/1/2020-प्रशा.IV]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4581(E).—In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Kanthi Narahari as Technical Member in the National Company Law Appellate Tribunal appointed, vide Notification No. S.O. 2220 (E), dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), with same terms and conditions for a period of one year or till attaining the age of 67 years or until further order, whichever is the earliest with effect from 10th April, 2022.

[F. No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.